

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी नाथू विपक्षी मदनलाल
 किस्म मुकदमा 1882520 पत्रावली संख्या 281/13 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>2/11/21 पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-..... दिनांक.....को पेश हो। <u>6/1/22</u></p> <p>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली</p> <p>6/1/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो। <u>27/1/22</u></p> <p>27/1/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो। <u>28/4/22</u></p> <p>28/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो। <u>18/8/22</u></p> <p>18/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो। <u>22/9/22</u></p>	



22/11/22

वकील वार्दी प्रतिवादी उप. सुनसुन
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/11/22
को पेश हो।

SDO मावली

10/11/22

व कुलार्थ या ती/प्रतिवादी उप./ सुनसुन
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
भवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 22/11/22
को पेश हो।

SDO मावली

22/11/22

आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....
...05/11/23.....को पेश हो।

5/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैरफो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक...16/2/23...को पेश हो।

मदनलाल मि
अ. by me
yhy pdind
ret.

10/01/23

पत्रावली अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा डा. पत्र
शुनसुन मय विद्रो का पेश करने पर
तलब की गई। वह पूर्व में अदम टाजरी अफम
पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अधिवक्ता
प्रतिवादी द्वारा बझकारो के मध्य आपसी शपथनामा
हो जाने से प्रतिवाद में कोई कार्यवाही नहीं चालकर
प्रतिवाद को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन
किया। बझकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की
गई। अतः प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही
नहीं चालने से प्रतिवादी का प्रतिवाद इसी स्तर
पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार
डोकर नम्बर से कम हो।
निर्णय जुले - थायालय शुनाथा गया।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक कोर्ट)